INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY

E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
IJH 2019; 1(1): 56-58
Received: 21-05-2019
Accepted: 15-07-2019

डॉ0 मीनाक्षी कुमारी
शिक्षिका (इतिहास), शिवगंगा बालिका, उ0वि0, मधुबनी, **बिहार**, भारत।

Corresponding Author:
डॉ0 मीनाक्षी कुमारी
शिक्षिका (इतिहास), शिवगंगा बालिका, उ0वि0, मधुबनी, **बिहार**, भारत।

मिथिला के महान विभूति चण्डेश्वर ठाकुर का न्यायशास्त्र के क्षेत्र में योगदान

डॉ0 मीनाक्षी कुमारी

सारांश
प्रस्तुत शोध प्रबंध ''मिथिला के महान विभूति चण्डेश्वर ठाकुर का न्यायशास्त्र के क्षेत्र में योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें बताया गया है कि मिथिला विभूति चण्डेश्वर ने परंपरागत संस्कृति के समुज्जवल तत्वों एवं मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हुए और साथ ही ज्ञान के क्षेत्रों में विशेषतः न्यायशास्त्र के क्षेत्र में अपना महान योगदान दिया है। उनका न्याय प्रक्रिया से संबंधित व्यवहार–रत्नाकार है जिसमें अभियोग, उत्तर, वाद–प्रतिवाद, साक्षी प्रमाण, निर्णय आदि नियम है वही चण्डेश्वर कृत विवद–रत्नाकर में हिन्दू–व्यवहारों (विधियों–कानूनों) का विवरण है। इस शोध प्रकाशन में चण्डेश्वर द्वारा न्याय के क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण का उल्लेख किया गया है। इनके अध्ययन–विश्लेषण से चण्डेश्वर ठाकुर के न्यायशास्त्र के मंत्र में विशिष्ट अवदानों का पता चलता है। डॉ0 काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा है ''चण्डेश्वर कृत रत्नाकर साहित्य के इतिहास में एक बहुमूल्य कृति है तथा ध्यानाकर्षण योग्य है।'' उन्होंने अपने समय की वास्तविकताओं पर ध्यान रखते हुए न्याय के क्षेत्र में अपने विचार प्रकट किए हैं तथा भविष्य के लिए नवीन चिंतन की प्रेरणा दी है।

मुख्य शब्दः प्राड्.विवाक, अस्वामि–विक्रय, ऋणादान, प्रतिवादी, मानुषी, वाग्दंड, धिग्दण्ड, आधि, निक्षेप, सम्भूंय–समुत्थान, वाक्पारूष्य, दण्डपारूष्य, दायभाग, पूग, सौदायिक।

प्रस्तावना
चण्डेश्वर ठाकुर मिथिला की महान् विभूतियों में से एक है। धर्मशास्त्र–वक्ताओं एवम् राजनीतिज्ञों में वंश–परंपरा से सभ्रांत एवं प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार के थे। उनके पिता का नाम वीरेश्वर था जो स्वयं कर्णाट–वंशीय राजा हरिसिंह देव की प्रधानामात्य (महासन्धि विग्रहिक) के उच्च पद पर रह चुके थे। चण्डेश्वर ठाकुर ने अपना राजनीतिक एवम् साहित्यिक जीवन कर्णाट–वंशीय राजा हरिसिंह देव की समय में प्रारंभ किया। चण्डेश्वर ठाकुर के चाचा शोभदत्त, धीरेश्वर ठाकुर, गणेश्वर ठाकुर और लक्ष्मीदत्त सभी शासन में उच्च अधिकार पदों पर रह चुके थे। उनके चचेरे भाई शिवदत्त भी अपने समय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे। चण्डेश्वर ठाकुर का मूल–स्थान गढ–विस्फी था (मधुबनी जिला का बिस्फी प्रखण्ड) और घर हरदी–ग्राम में था जहॉ अभी भी उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का मंदिर है।
चण्डेश्वर ठाकुर महाराजा हरिसिंह देव के महासंधिविग्रहिक मंत्री, महामहत्तक और प्राड्. विवाक (प्रधान न्यायाधीश) के महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर चुके थे। वे प्रकाण्ड विद्वान ही नहीं एक महान योद्धा भी थे। 'शस्त्र' और 'शास्त्र' दोनों के वे धनी थी।

शोध के मुद्दे :–
चण्डेश्वर ठाकुर न सिर्फ धर्मशास्त्र, मीमांसा तथा ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्वान थे बल्कि राज्यशास्त्र के साथ–साथ न्यायशास्त्र के भी अधिकारी विद्वान थे। न्यायशास्त्र संबंधी इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है– विवाद रत्नकर एवं व्यवहार रत्नाकर एवं किंचित् अंशों में राजनीति रत्नाकर। विवाद रत्नाकर की प्रशंसा में डॉ0 काशी प्रसाद जयसवाल ने निम्नलिखित उद्गार प्रकट किए है –''यह विधि (कानून) से संबंधित ग्रंथ है और हिन्दू कानून की मिथिला शाखा के लिए विगत छः शताब्दियों से प्रामाणिक मान्य विधि–संहिता के रूप में माना जाता रहा है।'' [1]
विवाद रत्नाकर में विवाद (मुकदमा) लॉ–सूट से संबंधित है तथा व्यवहार रत्नाकर व्यवहार अर्थात् न्याय–विधि (लॉ तथा जुड़शीतल प्रोसीड्योर) से संबंधित हे। उनके राजनीति रत्नाकर में राजधर्म, सभा (न्यायालय) और सभ्य (जुरी आदि) से संबंधित कतिपय राजशास्त्रीय विषय भी समाहित है। इन

सभी के अध्ययन–विश्लेषण से न्यायशास्त्र के क्षेत्र में भी उनके महत्वपूर्ण योगदान का पता चलता है।

उद्देश्य, महत्व एवं प्रासंगिकता :– इसका उद्देश्य प्रख्यात विद्वान–राजनीतिक चण्डेश्वर ठाकुर के ग्रंथों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में न्यायशास्त्र का विश्लेषणात्मक गन्वेषणा एवं समीक्षात्मक अध्ययन करना है और चण्डेश्वर ठाकुर न सिर्फ अध्ययन एवं चिंतन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए बल्कि न्यायशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान को रेखांकित एवं प्रकाशित करना है।

न्यायशास्त्र के क्षेत्र में योगदान :–
इस शोध प्रबंध से न सिर्फ चण्डेश्वर ठाकुर का न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान पर विस्तृत प्रकाश पड़ेगा अपितु इससे मध्यकलीन इतिहास में भी बिहार और विशेषतः मिथिला में कितनी सचेष्टता का परिचय दिया, यह भी उजागर होगा।

शोध परिकल्पना :–
शोध प्रबंध या तो प्रमुखतः चण्डेश्वर ठाकुर के रचना संसार से संबंधित है या उनके पूर्व के तथा लगभग समकालीन निबंधकारों एवं चिंतकों के विचारों को परिप्रेक्ष्य में रखकर भी विचार किया गया है। तिरहुत में हिन्दू व्यवहारों (कानूनों) के लिए चण्डेश्वर का विवाद रत्नाकर एवम् वाचस्पति का विवाद चिन्तामणि प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते रहे हैं।

विश्लेषण और व्याख्या :–
विवाद रत्नाकर में चण्डेश्वर ने लगभग 45 ग्रंथ–ग्रंथकारों के उद्वरण दिए है जिनमें मनु, कात्यायन, नारद, वृहस्पति, याज्ञवल्क्य प्रमुख है। पॉच–छः, पुराणों के भी उद्वरण हैं। संग्रहकार एवं संग्रह ग्रंथों में हलायुद्ध पारिजात, मिताक्षराकार, आदि के अलावा मिथिला के निबंधकार ग्रहेश्वर मिश्र के भी कतिपय उद्धारण है। [2] लगभग 700 पृष्ठों का यह महाग्रंथ 100 तरंगों में बॅटा है। संक्षेप में इसमें – 1. उत्तराधिकार (सम्पत्ति–विभाजन आदि), 2. दीवानी (सिविल), विवादों से संबंधित बातें तथा 3. आपराधिक (फौजदारी, क्रिमिनल लॉ) से संबंधी विधियों और दण्डों का विवरण है। ध्यातव्य है कि इस ग्रंथ में उत्तराधिकार (विभाजन) संबंधी नियम सिद्धांत है। हाल में ब्रिटिश भारतीय विधि व्यवस्था में भी मान्य माना जाता रहा है। न्यायिक विधि (व्यवहार) से संबंधित ग्रन्थों में व्यवहार रत्नाकर प्रमुख है। न्याय संबंधी इसमें सामान्य निर्देशों के बाद न्याय–विधि (Legal Procedure) का वितरण है। [3] व्यवहार की चार प्रकार बताए गए है :–
1. अभियोग (भाषा) :– Plaint, पूर्वपक्ष–अर्जी, मुद्दई
2. उत्तर (प्रतिवादी द्वारा बयान) :– मुद्दालय प्रत्यर्शी
3. क्रिया :– विभिन्न पक्षों को सुनकर
4. निर्णय :– फैसला

न्याय का अंतिम अधिकारी राजा को माना गया है। न्यायिक विधि के तरीकों में यह बताया गया है कि आवश्यकतानुसार प्रतिवादी को उपस्थित होना होगा और आवश्यकता पड़ने पर उसे रोककर रखा जाएगा। वाद की विषय–वस्तु पर विचार करना होगा। विचार करने के बाद फैसला हुआ उसके पुनः अवलोकन की भी व्यवस्था बताई गई है।
अभियोग :– Plaint (भाषा) के संबंध में बताया गया है कि वह लिखित होना चाहिए, चाहे स्वयं द्वारा या विश्वस्त से लिखवाया हुआ हो। अभियोग निश्चित हो, लोकसिद्ध हो, असंदिग्ध हो, सिलसिलेवार हों और जिसका उत्तर दिया जा सके आदि।
उत्तर :– प्रतिवादी को समय पर उपस्थित होना है (वाद की प्रकृति की अनुसार), अनुचित देरी नहीं हो, उत्तर (स्पष्टीकरण आदि) सही हो और सिलसिलेवार हो। उत्तर नहीं देने पर कार्यवाही की जाय। उत्तर देने की अवधि सामान्य तौर पर सप्ताह बताई गई है लेकिन पागल और लाचार व्यक्ति के लिए छूट दी जानी है।
क्रिया :– क्रिया के क्रम में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना है अगर उत्तर त्रुटिपूर्ण है तो वाद पर विचार नहीं किया जाएगा। दो तरह के विचार (trial) बताए गए है :–

1. मानुषी :– इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख है :–
(क) लेख (दस्तावेज)
(ख) साक्षी (गवाह)
(ग) तर्क पर आधारित अनुमान

2. दैवी :– इसके अंतर्गत दिव्य जैसे अग्निपरीक्षा, तुलापरीक्षा शपथ आदि है।
चण्डेश्वर ने अपने 'विवाद रत्नाकर' महाग्रंथ में 100 (एक सौ) तरंगों में विभिन्न विवादों तथा उन पर विचार, निर्णय अथवा दण्ड आदि का जो निरूपण किया है उनका सरसरी तौर पर गौर करना आवश्यक है उनके अध्ययन–विश्लेषण से चण्डेश्वर का न्यायशास्त्र क्षेत्र में विशिष्ट अवदानों का पता चलता है।
ऋणादान :– सभी स्मृतियों एवं निबंधग्रन्थों में ऋणादान संबंधी विषय को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। ऋणादान विवाद का निरूपण चण्डेश्वर ने विवाद रत्नाकर के एक से लेकर चौथी तरंग में किया है। ऋणादान से संबंधित प्रमुख विचारणीय बातें ये हैं– कौन सा ऋण दिया जाना चाहिए, कौन सा नहीं; किसके द्वारा, कहॉ, किस रूप में ऋण देते समय तथा लौटाते समय के नियम इनमें प्रथम पॉच का संबंध ऋणदाता से है और अंतिम दो का ऋणी का। ऋण पर वृद्धि (सूद, ब्याज) की सभी शास्त्रकारों ने निन्दा की हे। चण्डेश्वर ने भी इसकी भर्त्सना की है। [4]
आधि :– आधि का तात्पर्य है चल सम्पति के विषय में न्यास (धरोहर) सम्पति के विषय बंधक। ऋण देने में आधि एवं प्रतिभूति (जामनी जमानत) ये दो प्रकार के विश्वसनीय हेतु हैं और साक्षी एवं लेख्य–ये दो प्रमाण है। आधि इसीलिए कहा गया है कि ऋणदाता को उस पर अधिकार मिल जाता है।
प्रतिभू (जमीन) :– प्रतिभूति में तीन व्यक्ति अते हैः– 1. ऋणदाता, 2. ऋणी तथा 3. वह व्यक्ति जो जामीन होता है वह विश्वास दिलाता है कि यदि ऋणी ऋण नहीं देगा तो वह खुद देगा। तीन पुश्तों तक ऋण चुकाने का अधिकार दिया गया है। [5] अगर ऋण कुटुंब परिवार के लिए लिया गया हो तो पुत्र, पति या पत्नी एक–दूसरे के ऋण के उतरदायी होगें। [6]
निक्षेप (धरोहर) :– 'निक्षेप' 'उपनिधि' एवं 'न्यास' शब्द कभी–कभी पर्यायवाची माने जाते रहे हैं। निक्षेप वह है जो किसी व्यक्ति को विश्वास के आधार पर न्यास या धरोहर के रूप में दिया जाता है।
अस्वामि–विक्रय :– खुला निक्षेप धरोहर, मोहरबंद निक्षेप, दूसरे को दी जानेवाली सामग्री, चोरी की वस्तु, प्रतिभूति, किसी की छुपी हुई वस्तु आदि की बिक्री अस्वामि–विक्रय के अन्तर्गत आती है। अस्वामि विक्रय में साक्षियों तथा संबंधियों के प्रमाणों के अलावा किसी अन्य मानुष या दैविक प्रमाण की जरूरत नहीं है, जैसा कि चण्डेश्वर ने बताया है।
सम्भूय–समुत्थान (साझेदारी, साहकारिता) :– अनेक व्यापारी या अन्य लोग (जैसे शिल्पकार आदि) परस्पर मिलकर साझा व्यापार करते हैं तो वह कार्य या व्यवसाय सहकारिता, सम्भूयकारिता या सम्भूय–समुत्थान कहा जाता है। किसी संदिग्ध परिस्थिति में स्वयं साझेदार ही आपस में निर्णय करते है और धोखाघड़ी या कपटाचरण में निपटारा करते हैं ऐसा चण्डेश्वर का कहना है। [7]
मान हानि एवं आक्रमण (वाक्पारूष्य एवं दण्डपारूष्य) वाक्पारूष्य वह अपराध है जो गाली के रूप में कहा जाए और दण्डपारूष्य वह है जिसके द्वारा पीड़ा, या खून निकलना, अंग–भंग हो आदि। चण्डेश्वर के अनुसार ''हाथ, पत्थर, लाठी, राख, पंक, धूलि या

हथियार से मारना या चोट पहुँचाना दण्ड पारूष्य है। [8]

दायभाग (सम्पति विभाजन) :– दायभाग नामक विवाद/व्यवहार–पद में दो मुख्य विषयों जैसे–विभाजन एवं दाय का निरूपण किया गया है। दीर्घकाल से इसके दो संप्रदाय प्रसिद्ध रहे जो मिताक्षरा तथा दायभाग नामों से द्योतित होते रहे हैं। मिताक्षरा के अंतर्गत ही मिथिला संप्रदाय है जो विवाद रत्नाकर तथा वाचस्पति मिश्र द्वितीय कृत विवाद चिंतामणि पर आधारित है। [9]

संपति विभाजन के चार काल बताये गये हैं :–

(i) पिता के रहते उसकी इच्छा के अनुसार

(ii) पिता की इच्छा के विरूद्ध भी, जबकि पिता न्ष्काम हो गया हो और सम्पति की परवाह ना करता है।

(iii) जब पिता वृद्ध हो गया हो, अधर्म मार्ग का अनुसरण करता हो तो उसकी इच्छा के विरूद्ध विभाजन हो सकता है।

(iv) पिता की मृत्यु के उपरांत।

संपति के विभाजन में पतित, उन्मत (पागल), असाध्य रोगी को अंश नहीं मिलता। [10] चण्डेश्वर का कथन है कि चौथी पीढ़ी तक ही भाग मिलता है, विभाजन केवल उनलोगों के लिए लागू होता है जो एक ही स्थान या देश में निवास करते हैं।

तरशुल्क (घाट सेवा वगैरह) के संबंध में भी नियम दिए गए हैं। उल्लेखनीय है गर्भिणी तथा संन्यासी, शिशु, अतिवृद्ध और विधवा को तरशुल्क से छूट दी गयी है।

विद्याधन वह है जो शिष्यों से (अध्यापन कार्य) में प्राप्त होता है और उसे विभाजन के समय बॉटा नहीं जाता है। विद्या की महत्ता के प्रकाशन से यजमान कार्य आदि से जो कुछ प्राप्त होता है वह विधाधन है। विधाधन को सामान्यतः विभाजन के समय विभाजित करने योग्य नहीं ठहराया गया है।

किस प्रकार की संपत्ति का विभाजन होना चाहिए इस पर भी विचार किया गया है। संपत्ति दो प्रकार की कही गई है–

(1) स्थावर (यथा भूमि खंड एवं घर) तथा

(2) जंगम (चलने वाला)

व्यवहार विधि के अनुसार संपत्ति को दो कोटियों में बॉटी गई है :–

(1) संयुक्त कुल संपत्ति और

(2) पृथक् संपत्ति

संयुक्त कुल संपत्ति या तो पैतकृ होती है या पैतृक संपत्ति की सहायता या बिना उसकी सहायता से संयुक्त रूप में अर्जित होती है या अलग–अलग अर्जित होने पर संयुक्त कर ली जाती है। पृथक् संपत्ति में स्वार्जित संपत्ति भी मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति विभाजन द्वारा पैतृक संपत्ति से कोई अंश पाता है, तो ऐसा माना गया है कि वह उसकी पृथक् संपत्ति होगी, जबकि उसके पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र न हो किन्तु इनमें से यदि कोई हो तो वह उसके अन्य उत्तराधिकारियों के लिए पैतृक संपत्ति कहलाएगी।

संयुक्त संपत्ति का सदस्य होते हुए और उसमें अभिरूचि रखते हुए भी कोई व्यक्ति तरह–तरह के उपायों द्वारा अर्जित धनों से पृथक् संपत्ति रख सकता है। संपत्ति के कुछ अन्य प्रकार भी हैं जिनका विभाजन नहीं होता और उनका उपयोग संयुक्त या बारी–बारी से होता है। मंदिरों तथा पुजारी–गिरी से प्राप्त दान, खेत, सवारियॉ, जल एवं स्त्रियॉ, माता या पिता द्वारा दिया गया स्नेहदान अविभाज्य बताया गया है।

विभिन्न प्रकार के पुत्र जैसे–औरस पुत्र, क्षेत्रज पुत्र, दत्तक पुत्र, क्रीत पुत्र आदि विभिन्न प्रकार के पुत्रों के बीच सम्पति के विभाजन का विधान किया गया है।

स्त्रीधन :– चण्डेश्वर ने मनु को उद्धृत करते हुए स्त्रीधन की परिभाषा यह दिया है कि ''विवाह के समय अग्नि के समक्ष जो कुछ भी दिया गया है और विदाई के समय जो कुछ दिया गया है वह स्त्रीधन है। मनु ने एक बात और जोड़ दी है कि बाद में मिलने वाली भेंट भी स्त्रीधन है।'' [11] वृति, शिल्प, शुल्क लाभ से भी प्राप्त धन स्त्रीधन कहलाता है। विवाह के समय या उसके उपरांत स्त्री को अपने पिता या पति से कुछ भी प्राप्त होता है वह सौदायिक कहलाता है। सौदायिक धन की प्राप्ति पर स्त्रियों का उस पर स्वतंत्र अधिकार होता है। विक्रय या दान में सौदायिक संपति पर स्त्रियों का पूर्ण अधिकार है, इतना ही नहीं सौदायिक अचल संपति पर भी उनका सम्पूर्ण अधिकार है। विधवा हो जाने पर वे पति द्वारा दी गई चल भेंटों को मनोनुकूल खर्च कर सकती है। लेकिन सधवा स्त्री केवल सौदायिक को ही मनोनुकूल कर सकती है। स्त्रीधन के उतराधिकार के संबंध में यह विधान कहा गया है कि स्त्रीधन का उत्तराधिकार सर्वप्रथम कन्याओं (बेटियों) को प्राप्त होना चाहिए अर्थात कन्याओं को पुत्रों की अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए। इस संबंध में लोकाचार की भी बात कहीं गयी है। स्त्रीधन पर स्त्री का अधिकार है यह दो बातों पर निर्भर हैः–

(1) संपत्ति प्राप्त करने का उद्गम,

(2) संपत्ति प्राप्त के समय उसकी स्थिति यानी वह कुँवारी है, सधवा है या विधवा है।

पति के उत्तराधिकारी पति के रहते स्त्रियों द्वारा पहने हुए आभूषणों को नहीं बॉट सकते हैं, अगर वो वैसा करते हैं तो पाप का भागी बताया गया है।

निष्कर्ष :–

वास्तव में चण्डेश्वर ठाकुर ने अपने न्याय शास्त्र संबंधी विचारों में लोक कल्याण्कारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपाद किया है जो आधुनिक न्याय विधि से बहुत कुछ मिलती जुलती है। न्याय कार्य में संलिप्त सभी अधिकारियों की निष्पक्षता पर बल दिया है। उन्होंने न्यायशास्त्र संबंधी विषयों का विशद, स्पष्ट, तर्कपूर्ण, व्यवहारिक एवं साथ ही परंपरागत मूल्यों का निर्वाह करते हुए महत्वपूर्ण विवेचन किया है। उनके विचार बहुत ही न्यायोचित और पूर्वापेक्षा अधिक मानवीय है। न्यायाधारित शासन उनके न्याय–शास्त्र का बीज मंत्र है।

संदर्भ सूची :–

1. राजनीतिक रत्नाकर : इन्ट्रोडक्शन, पृ0–12
2. विवाद रत्नाकर : ले0चण्डेश्वर ठाकुर, संपा0– पंडित दीनानाथ विघलंकार
3. व्यवहार रत्नाकर : ले0 चण्डेश्वर ठाकुर, प्रका0– उ0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
4. गृहस्थ रत्नाकर : पृ0–4 तथा विवाद रत्नाकर तरंग–1, पृ0–15
5. विवाद रत्नाकर के अनुसार : पृ0–53
6. वही, : 59
7. वही, : 123
8. वही, : 258
9. विवाद रत्नाकर का 'स्तेन लाभ' हृतदान तरंग पृ0 383
10. विवाद रत्नाकर : पृ0 492
11. वही, : 526